तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गंगाधर सोलंकी बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 30/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.02.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गंगाधर सोलंकी पता 91, न्यू क्लॉथ मार्केट, चितौड़गढ ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.12.2018 में उसके द्वारा (1) श्री अर्जुनलाल गुरू पिता श्री गाकुलराम गुरू निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर को आपके कार्यालय द्वारा एक जाति प्रमाण पत्र फाईल नम्बर एफ 16(1)जेयूडी/2332 दिनांक 29.07.1975 से gurda जाति का प्रमण पत्र किया गया से संबंधित अर्जुनलाल द्वारा प्रस्तुत प्रथम आवेदन/प्रार्थना पत्र, जाति प्रमाण पत्र/ जाति बदलने बाबत् प्रस्तुत किया, उस आवेदन प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति व अन्य 3 बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जो खेदजनक है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	